<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : **मनोज गोयल**
<u>अध्यक्ष</u>

प्रकरण कमांक निगरानी 931–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–12–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, राजगढ़ (ब्यावरा) प्रकरण कमांक 05/अ–19/2012–13/स्वप्रेरित निगरानी.

माग्या पिता कनीराम उर्फ कन्या
निवासी ग्राम टुआखेड़ी
तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ ....आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

1– सुशीला बाई पत्नी इमरत भारती
निवासी ग्राम टुआखेड़ी
तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़
2– मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ ....अनावेदकगण

श्री नीराज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री कमल किशोर गढ़वाल, अभिभाषक, अनावेदिका क. 1

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 26/10/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, राजगढ़ (ब्यावरा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, मलावर तहसील ब्यावरा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ब्यावरा के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम टुवाखेड़ी तहसील ब्यावरा की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 74/2 रकबा 0.595 हेक्टेयर व सर्वे नम्बर 76/1/6 रकबा 0.253 हेक्टेयर आवेदक माग्या को पट्टे पर दी गई थी, और उसके द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के प्रश्नाधीन भूमि का विकय